न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 15/178

मोहन आत्मज मांग्या आयु करीब 61 वर्ष जाति कुम्हार निवासी पीपल्या तहसील नैनवा जिला बून्दी । ---अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी । --रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बृजराज शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांकः 12.07.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, नैनवा जिला – बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम पीपल्या की आराजी खसरा नं. 132 रकबा 3.00 बीघा राजकीय भूमि पर ईंट भट्टा लगाकर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 "A" एवं सपठित धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं ईंट भट्टे को जप्त राज लेकर फर्द जप्ती पेश करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 23.05.2014 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.05.2015 के द्वारा खारिज कर दिया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट ने तावान शुल्क राशि भी जमा करवा दी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा सिविल कारावास की सजा माफ की जावे ।

4. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

... 06.5.2015 दोनों विधि एवं तथ्यों के सवर्था विपरित होने से निरस्त किये

...लान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को प्रोपर नोटिस तामील करवाए बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक निरस्त फरमाया जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोडने का निवेदन किया है इस सम्बन्ध में शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति हम प्रस्तुत प्रकरण को न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.05.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा ।

10. निर्णय आज दिनांक 12.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनॉक 06.5.2015 दोनों विधि एवं तथ्यों के सवर्था विपरित होने से निरस्त किये